(ख) वर्ष 1989-90 के लिए खाद्य तेलों की संभावित मांग 57.72 लाख मी० टन है ।

(ग) खाद्य तेल का आयात एक सतत प्रक्रिया है । आयात की मात्रा, घरेलू के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता और मूल्य, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, तिलहन उत्पादकों के लिए अनुकूल मूल्यों का वातावरण कायम रखना, आदि जैसे अनेक तथ्यों पर निर्भर करती है ।

खाद्य तेल की उपलब्धता और मांग

238. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा**: क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान देश में खाद्य तेलों के दामों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में उपलब्ध खाद्य तेल की मात्रा देश की खपत को पूरा करने में असमर्थ है ; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष में खाद्य तेल की उपलब्धता व मांग का क्या अनुमान है और सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि से पूर्व खाद्य तेलों की मांग को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान देश में खाद्य तेलों की कीमतों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है ।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेलों की उपलब्धता और मांग का अनुमान क्रमश: 47.22 लाख मी० टन और 57.72 लाख मी० टन है । खाद्य तेलों की देशीय उपलब्धता के अतिरिक्त देश की उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरक कदम के रूप में कुछ आयात भी किया जा रहा है ।

भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा भूमि का आबंटन

239. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन ।**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा अनेकों सामाजिक, धार्मिक, दातव्य एवं सांस्कृतिक संस्थानों को भूमि आवंटित की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के नाम, इस प्रकार आवंटित की गई भूमि का क्षेत्र, स्थान, तथा उसका उद्देश्य क्या है और यदि इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं तो वे क्या हैं ?

(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से अनेकों संस्थानों ने आवंटन के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया था ।

(घ) यदि हां, तो उन संस्थानों के नाम क्या-क्या है और क्या सरकार द्वारा उन संस्थानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भूमि तथा विकास कार्यालय ने 9 धार्मिक संगठनों और 8 सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को भूमि आवंटित की है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किये गए आबंटनों के सम्बन्ध में अपेक्षित ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं (**देखिए** परिशिष्ट 154, अनुपत्र सं० 13)

धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धर्मार्थ प्रकृति के पंजीकृत संस्थानों से भूमि के आवंटनार्थ प्राप्त हुए अनुरोधों पर उनके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों तथा भूमि की उपलब्धता